बिन्दु–12: सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं,

मण्डी परिषद् द्वारा दो तरह के कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं–

1. निर्माण कार्यक्रम (मण्डी स्थलों एवं सम्पर्क मार्गों का निर्माण)

2. कल्याणकारी कार्यक्रम

निर्माण कार्यक्रमों के अंतर्गत सम्पर्क मार्गों तथा मण्डी स्थलों का निर्माण कराया जाता है एवं पुराने सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराया जाता है। सम्पर्क मार्ग निर्माण, मरम्मत एवं मण्डियों के निर्माण कराने की प्रक्रिया यह है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुये निर्माण कराने का अनुरोध किया जाता है जिस पर मुख्यालय स्तर से मण्डी समितियों/निर्माण खण्डों के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा सहमति प्राप्त करके बजट की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये मुख्यालय से स्वीकृति दी जाती है तथा बजट आवंटित किया जाता है। तत्पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ होता है।

कल्याणकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों हेतु बहुत सारी कल्याणकारी योजनायें चलाई जाती हैं और उसे सहायता राशि दी जाती है।

फायदा ग्रहियों का विवरण मण्डी परिषद् के सम्भागीय प्रशासनिक कार्यालयों में उपलब्ध है।